न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः— 20-12-2023

अपील संख्या 164/23
(जीसीएमएस संख्या 2023/231)

1. लक्ष्मी पत्नि सुरजनराम जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर। —अपीलांट्

—बनाम—

1. देवाराम पुत्र श्री छोगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गोकुल तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू। रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14—08—2023
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितिः—

1. श्री नायब सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 14—08—2023 जिसके द्वारा अपीलांट को मुरब्बे के चिपती भूमि का मिडियम पेच आवंटन रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 3 आरएम के मुरब्बा नम्बर 197/50 में 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी चक के मुरब्बा नम्बर 197/50 के किला नम्बर 1, 7, 8 ता 10, 21 में 5 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 2 ता 4, 7, 11, 12, 19, 20 व 22 में 8 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 14 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध थी। जिसके आवंटन की वरियता अपीलांट् की होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि मिडियम पेच आवंटन नियमों में उसी चक में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। मिडियम पेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् चक में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का अपीलांट का भी बनता है अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया मिडियम पेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि उक्त भूमि का आवंटन बतौर थमडियम पेच करते हुए सभी पात्र व्यक्तियों को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो नियमानुसार अत्याधिक बोलीदाता को उक्त भूमि का आवंटन किया जाता। उक्त कृत्य से राज्य सरकार को भी आर्थिक लाभ पहुँचता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से राज्य सरकार को भी आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर व मनमाने तरीके से की गई है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बतौर मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर तमाम जॉच के उपरान्त व संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वादग्रस्त भूमि को शुद्व रूप से आराजीराज व मौके पर खाली व किसी भी प्रकार से गजट (मोहरबन्द/विशेष आवंटन गजट) में प्रकाशित नहीं होने तथा अन्य कोई विवाद/स्थगनादि नहीं होने का उल्लेख किये जाने पर व वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मुरब्बें में ही निहित होने के आधार पर ही आराजी जैर का बतौर मिडियम पेच दर से देय होने के आधार पर की गई थी। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर तमाम अधिकार रेस्पोडेन्ट् के उत्पन्न हो चुके है।

प्रकरण में जहाँ तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूकों का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा कोई प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। नाही अपीलांट् की भूमि मुरब्बा नम्बर 197/59 में निहित ही है। ऐसी स्थिति में बिना प्रार्थना पत्र के वादग्रस्त भूमि के आवंटन के अधिकार किस प्रकार उत्पन्न होते है, अपीलांट साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि सम्मत है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित एवं रेस्पोडेन्ट को मिडियम पेच के रूप में आवंटित भूमि मुरब्बा नम्बर 197/59 के किला नम्बर नम्बर 1, 7, 8 ता 10, 21 में 5 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 2 ता 4, 7, 11, 12, 19, 20 व 22 में 8 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 14 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड अपीलांट के मुरब्बें से सटकर होने के कारण वह आवंटन की पात्रता रखता है, परन्तु उसे आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम 1975 के मिडियम पेच आवंटन नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि ''सरकारी भूमि का छोटा टुकड़ा ऐसे भूधृति काश्तकार जिसकी भूधृति भूमि ऐसे टुकड़ें से लगी गई है, को आवंटित की जायेगी। इसी कम में नियम 14 (2) में प्रावधान है कि उसी टुकड़ें के आवंटन करने के लिये एक से अधिक काश्तकार होने की स्थिति में आवंटन उसी मुरब्बें के काश्तकार को किया जायेगा।

रेस्पोडेन्ट देवाराम ने उसी मुरब्बें की भूमि का भूधृति काश्तकार होने के कारण मिडियम पेच आवंटन के लिये दिनांक 28–06–2023 को आवेदन किया गया। जिस पर पटवारी ने उसी मुरब्बे तथा पड़ौसी मुरब्बें के काश्तकारों का विवरण पेश किया तथा दिनांक 14–08–2023 को आवेदक देवाराम के पक्ष में आवंटन कर दिया गया। अपीलांट उसी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मुरब्बें का काश्तकार नहीं होने के कारण प्राथमिकता में नहीं आ रहा था तथा रेस्पोडेन्ट् देवाराम अकेला उसी मुरब्बें का काश्तकार होने के कारण अकेला ही आवंटन का पात्र था। अन्य मुरब्बें का व्यक्ति या अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ आवेदन भी करता तो आवंटन में प्राथमिकता रेस्पोडेन्ट देवाराम की ही थी क्योंकि आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मुरब्बें में निहित भूमि है तथा आवंटन पश्चात् विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित हो चुके है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–08–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर